M.P.STATE COMBINED ONLINE COUNSELING (M.B.B.S./B.D.S.) (31.08.2017)
NEET U.G.2017

IN COMPLIANCE OF HON'BLE SUPREME COURT ORDER DATED 29.08.2017 IN SLP(C)22438/17 and 22439 AND HON'BLE HIGH COURT JABALPUR BENCH ORDER DATED 24.08.2017 IN W.P. No. 12601/2017 & 12774/2017

SCHEDULE OF FIRST ROUND OF COUNSELLING (Online)		
S.No.	**Event**	**Duration**
1	Publication of revised State Merit list **as per applicant state data in NEET UG 2017 result**	30.08.2017
2	Choice filling and Choice locking (One time for all the rounds)	31.08.2017 (**00:01 Hrs.**) to 01.09.2017**(9 A.M.)**
3	Publishing of Round-1 Allotment Result	02.09.2017
4	Reporting at allotted Medical/Dental college for scrutiny and admission.	From Immediately after declaration of allotment result till 08:00 PM on 03.09.2017
SCHEDULE OF SECOND ROUND OF COUNSELLING (Online)		
1	Vacant Seat Publication	04.09.2017
2	Publishing of Round-2 Result	06.09.2017
3	Reporting at allotted Medical/Dental college for scrutiny and admission.	From Immediately after declaration of allotment result till 05:00 PM on 07.09.2017

अभ्यर्थियों के लिये निर्देश

1. स्टेट कोटे की पूर्व की काउसिलिंग द्वारा प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जिनके मूल दस्तावेज किसी संस्था में जमा है उन्हे अपना वर्तमान ''अलाटमेंट लेटर'' एवं पूर्व में अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा जारी मूल दस्तावेज जमा संबंधी प्रमाण पत्र वर्तमान में आवंटित नवीन संस्था में प्रवेश हेतु स्वयं प्रस्तुत करना होगा।

2- ऐसे अभ्यर्थी जिनका आवंटन पहली बार हुआ है उन्हें आवंटित संस्था में प्रवेश हेतु नियमानुसार समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज एवं आवश्यक शुल्क के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है । आवश्यक शुल्क एम0पी0आन लाईन के माध्यम से अथवा डिमाण्ड ड्राफट् जो कि संचालक चिकित्सा शिक्षा भोपाल, के नाम से देय होगा, के माध्यम से जमा कराना होगा। जिन अभ्यर्थियो द्वारा पूर्व में शुल्क का भुगतान किया जा चुका है नवीन आवंटन पश्चात् आवंटित संस्था में प्रवेश हेतु उनका शुल्क आवश्यकतानुसार समायोजित किया जावेगा । **अभ्यर्थी जो किसी विशेष कारण एवं विशेष परिस्थिति में ऑनलाईन अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रवेश के समय फीस जमा करने में असमर्थ है ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश हेतु मल्टीसिटी चेक इस घोषणा के साथ जमा करा सकेगा कि वह आगामी कार्यालयीन दिवस में देय फीस का डिमाण्ड ड्राफ्ट संबंधित संस्था में जमा करायेगा । उपरोक्त आशय का एक घोषणा पत्र अभ्यर्थी को संस्था में जमा कराना होगा। इन अभ्यर्थियों को उनकी प्रवेश स्लिप उन्हें डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने के पश्चात् ही दी जायेगी।**

यदि अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा करने में असमर्थ होता है तो उसका प्रवेश स्वयमेव निरस्त माना जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। किसी भी स्थिति में नगद राशि द्वारा फीस का भुगतान नहीं लिया जायेगा।

3- अभ्यर्थी आवंटन पश्चात् स्कूटनी एवं प्रवेश प्रकिया हेतु आवंटित महाविद्यालय में अथवा आवंटित महाविद्यालय में न पहुंच पाने की स्थिति में **स्वर्ण जयंती सभागार, प्रशासन अकादमी, अरेरा कॉलोनी, शाहपुरा भोपाल 462016** में भी अपनी प्रवेश प्रकिया पूर्ण करा सकते है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें भोपाल में स्थित किसी महाविद्यालय में आवंटन होता है तो उन्हें आवंटित महाविद्यालय स्तर पर ही स्कूटनी एवं प्रवेश की प्रकिया पूर्ण करानी होगी।

4- काउंसिलिंग से संबंधित विस्तृत जानकारी समय–समय पर कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट www.medicaleducation.mp.gov.in एवं निर्धारित पोर्टल www.dme.mponline.gov.in पर प्रदर्शित की जायेगी । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाईट के सत्त संपर्क में रहें ।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश